NOTE FOR PAD

Haryana Government is implementing various schemes for the welfare of domicile of Haryana by giving monthly allowance/pension, which are as under:-

1. **Old Age Samman Allowance Scheme**

To provide social security to old persons who are unable to sustain themselves from their own sources and are in need of financial assistance, Old Age Pension Scheme was started with effect from 01.04.1964, as per the information available with the department. The rate of pension which was Rs. 15/- per month in the beginning of the scheme was enhanced by the state Government from time to time. The Haryana Government implemented this scheme w.e.f. 01.11.66. The old age pension scheme was liberalized in 1987 and the monthly pension was increased to Rs. 100/- w.e.f. 17-6-1987.

The State Government further liberalized the scheme and introduced “Old Age Pension- 1991”. The scheme came into operation from 1st July, 1991. The age of eligibility was also reduced from 65 to 60 years.

ELIGIBILITY CRITERIA

The eligibility conditions for availing of Old Age Pension kept on changing. In the year 2011, eligibility conditions were modified as follows:-

i) The person is of age 60 years or more; and

ii) The person is domiciled and resident of Haryana State; and

iii) His/her income from all sources together with that of his/her spouse does not exceed Rs. 50000/- per annum.

In March 2012, the income limit of Rs. 50000/- per annum was increased to Rs. 200000/- per annum in the eligibility criteria and rest of the eligibility conditions remained as per 2011 notification and continue to be in operation till date.

EXCLUDED CATEGORY: Notwithstanding the above, any person receiving pension from any Government or Local/ Statutory Body or any organization substantially financed by any Government or Local/ Statutory Body will not be eligible to receive allowance under the scheme. Definition of “Pension” is:

“Pension”wherever occurring in any Government Notification concerning Social Security Benefits means and includes, income received or accrued from accumulated earnings, including schemes

*Provident Funds, or

*Annuities from any source including Commercial Banks, Financial Institutions or Insurance.

BUDGET PROVISION:

There is a budget provision of Rs. 538553 Lakh for the current financial year 2022-23. At present, 1773407 beneficiaries are getting the benefit under this scheme.

2. HARYANA PENSION TO WIDOWS AND DESTITUTE WOMEN SCHEME (WIDOW PENSION)

"The Haryana Pension to Widows and Destitute Women Scheme" was introduced in the year 1979-80. The aim of the scheme is to provide social security to women who are unable to sustain themselves from their own resources and are in need of financial assistance. The rate of pension, which was Rs. 50/- per month, at the beginning of the scheme, was enhanced from time to time and finally to Rs. 2500/- per month per beneficiary w.e.f. 01.04.2021. Women above 18 years of age and who are domicile of Haryana having no means of livelihood and who are deprived of support or care by their husband due to his continuous absence from home or desertion by husband or due to physical or mental incapacity of her husband are eligible under this scheme.

The monthly rate of pension has further been increased to Rs. 1,200/- per month per beneficiary w.e.f. 01.01.2015 and Rs. 1,400/- w.e.f 01.01.2016, Rs. 1,600/- w.e.f. 01.11.2016, Rs. 1,800/- w.e.f. 01.11.2017 ,Rs. 2,000/- w.e.f. 01.11.2018 and Rs. 2250/- w.e.f 01.01.2020. At present, the monthly rate of Haryana Widow and Destitute Woman allowance is Rs. 2500/- w.e.f. April , 2021 payable in May, 2021.

ELIGIBILITY CRITERIA

1. A woman, in the age group of 18 years and above.
2. If she is domicile of Haryana and has been residing in Haryana State for the last one year at the time of submission of application and her own income from all sources is below Rs. 2,00,000/- per annum and further any one of the three conditions are fulfilled:
   (i) She is a widow; or
   (ii) She is destitute without husband, parents and son(s); or
   (iii) She is destitute due to desertion or physical/mental incapacity of,
      (a) Husband in case of married woman; or
      (b) Parents in case of other women.

Excluded Category: Notwithstanding the above, any person receiving pension from any Government or Local/ Statutory Body or any organization substantially financed by any Government or Local/ Statutory Body will not be eligible to receive allowance under the scheme. Definition of "Pension" is:

"Pension" wherever occurring in any Government Notification concerning Social Security Benefits means and includes, income received or accrued from accumulated earnings, including schemes:

*Provident Funds, or

*Annuities from any source including Commercial Banks, Financial Institutions or Insurance.

BUDGET PROVISION:

There is a budget provision of Rs. 250000 Lakh for the current financial year 2022-23 At present, 811141 beneficiaries are getting the benefit under this scheme.

3. HARYANA HANDICAPPED PERSONS PENSION SCHEME (HANDICAPPED PENSION)

To provide social security to disabled persons, the scheme called "The Haryana Handicapped Persons Pension Scheme" was introduced in the year 1980-81. The aim of the scheme is to provide social security to disabled persons who are unable to sustain themselves from their own resources and are in need of financial assistance from the State. The rate of pension, which was Rs. 50/- per month in the beginning of the scheme, was enhanced from time to time and finally to Rs. 2500/- per month per beneficiary w.e.f 01.04.2021.

ELIGIBILITY CRITERIA

1 A person in the age group of 18 years and above.

2 If he/she is a domicile of Haryana State and has been residing in Haryana State for the last three years at the time of submission of application; and

3 His/her close relative such as parents, son, son's sons are not supporting him and his/her own annual income from all sources is not more than minimum wages of unskilled labour as notified by Labour Department and circulated by Department on year to year basis.

BUDGET PROVISION:

There is a budget provision of Rs. 60500 Lakh for the current financial year 2022-23. At present, 184907 beneficiaries are getting the benefit under this scheme

4. LADLI SOCIAL SECURITY ALLOWANCE SCHEME

Ladli Social Security Allowance Scheme is being implemented in the State of Haryana from 01.01.2006 for the families having only girl child/children. Under this Scheme, benefit is admissible to those biological parents of Haryana domicile who do not have any son biological/adopted, but have only daughter(s). This benefit starts from 45th birthday of the parent(s) i.e. on the day either of the parents turns 45 years of age and is admissible for minimum 15 years i.e. upto the age of 60 years. Thereafter, the parents can get Old Age Samman Allowance if they are otherwise eligible. At present, financial assistance under the scheme is given to the older of the parents i.e. whosoever turns 45 years of age earlier. The allowance under the Ladli Social Security Allowance Scheme is given preferably to the mother (if living) for a maximum period of 15 years from the date the older of the two parents completes 45 years of age. In case, the mother is not living, the benefit is given to the surviving father.

The rate of allowance has been increased from time to time and was Rs. 1,000/- per month per beneficiary w.e.f. 01.01.2014, Rs. 2,000/- per month per beneficiary w.e.f. 01.11.2018, Rs. 2250/- w.e.f 01.01.2020. At present, the rate of Ladli Social Security Pension Scheme is Rs. 2500/- w.e.f. April, 2021 payable in May, 2021.

ELIGIBILITY CRITERIA

i) Any family where biological single parent/parents are domicile of Haryana or working for Government of Haryana and having no son, biological or adopted, but only daughter/daughters are eligible to get benefit under this scheme.

ii) The gross annual income from all sources of the family must not exceed Rs. 2,00,000/- to be eligible for getting benefit under this scheme.

iii) The eligible family will be entitled to receive benefit under this scheme for a maximum period of 15 years from the date either of the two parents complete 45 years of age. The benefit will be paid to the mother, If surviving. In case the mother is not surviving, the benefit will be paid to the father.

BUDGET PROVISION:

There is a budget provision of Rs. 13510 Lakh for the current financial year 2022-23. At present, 34532 beneficiaries are getting the benefit under this scheme.

5. FINANCIAL ASSISTANCE TO DESTITUTE CHILDREN (FADC)

Under this scheme the parents/guardians of the children up to the age of 21 years who are deprived of proper care because of the death or long imprisonment of their parents, long illness of mental retardation, are being paid financial assistance of Rs. 1600/- per month per child w.e.f. 01-04-2021 which was earlier Rs. 1350/- per month per child subject for maximum two children of one family as per eligibility criteria laid down in the scheme.

The rate of allowance has been increased from time to time and was Rs. 1100/- per month per beneficiary w.e.f. 01.11.2018, Rs. 1350/- w.e.f. January, 2020. At present, the rate of Financial Assistance to Destitute Children is Rs. 1600/- per month per child w.e.f. April, 2021 payable in May, 2021.

ELIGIBILITY CRITERIA

1 A child under 21 years of age.

2 If he/she is a domicile of Haryana State and is residing in Haryana State and has been deprived of parental support or care by reason of death or continued absence from home of his father for the last 2 years, or father/mother has been sentenced to imprisonment for a period not less than one year or physical/mental incapacity of a parents; and

3 Whose parents/guardians income from all sources do not exceed Rs. 2,00,000/- per annum shall be eligible for financial assistance under this scheme.

BUDGET PROVISION:

There is a budget provision of Rs. 50000 Lakh for the current financial year 2022-23 At present, 158097 beneficiaries are getting the benefit under this scheme.

6. ALLOWANCE TO DWARFS

Dwarfs who are living in various parts of Haryana were being given allowance @ Rs. 1,000/- per month w.e.f. 01.04.2014 as per eligibility criteria laid down for the purpose. A male person of 3 feet 8 inches or less height and a female with 3 feet 3 inches or less height (equivalent to 70% disabled) is entitled to get this monthly allowance. The scheme was implemented w.e.f. 01.06.2006.

The rate of allowance has been increased from time to time and the rate was Rs. 2000/- per month per beneficiary w.e.f. 01.11.2018 and Rs. 2250/- w.e.f 01.01.2020.

At present, the rate of Allowance to Dwarf is Rs. 2500/- per month w.e.f. April, 2021 payable in May, 2021.

At present, 54 beneficiaries are getting the benefit under this scheme

ELIGIBILITY CRITERIA

I. The applicant shall be a domicile of Haryana State and has been residing in Haryana State for the last one year at the time of submission of application.

II. The age of applicant shall not be less than 18 years.

III. The applicant must give a certificate from the Civil Surgeon in support of being Dwarf.

7. ALLOWANCE TO EUNUCH

Eunuchs of the age of 18 years or above who are living in Haryana and have a certificate from the concerned Civil Surgeon in support of being an Eunuch are being given allowance @ Rs. 1,000/- per month per beneficiary w.e.f. 01.04.2014 as per eligibility criteria laid down for the purpose. The scheme is being implemented w.e.f. 01.06.2006.

The rate of allowance has been increased from time to time and presently the rate is Rs. 2000/- per month per beneficiary w.e.f. 01.11.2018. and Rs. 2250/- w.e.f 01.01.2020. At present, the rate of Allowance to Eunuch is 2500/- w.e.f. April, 2021 payable in May, 2021.

ELIGIBILITY CRITERIA

i) The applicant should be permanent resident/domicile of Haryana State and has been residing in Haryana State for the last 5 years at the time of submission of application.

ii) The age of applicant should not be less than 18 years.

iii) The applicant must give a certificate from the Civil Surgeon in support of being an Eunuch.

BUDGET PROVISION:

There is a budget provision of Rs. 16.35 Lakh for the current financial year 2022-23. At present, 39 beneficiaries are getting the benefit under this scheme.

8. FINANCIAL ASSISTANCE TO NON-SCHOOL GOING DISABLED CHILDREN

Presently Haryana Govt. is providing Financial Assistance to Disabled children in the age group of 0 to 18 years who are in the category of Profound & Severely retardation and their mental retardation with I.Q not exceeding 50 or percentage of disability is 70% and above, who are not able to attend formal education, training etc. due to disability and they are totally dependent on their parents or relatives and need constant supervision and care of their families. Applicant who are domicile and residing in Haryana State and having physical disability in the age group of below 18 years and is being given allowance as per eligibility criteria. The scheme was implemented w.e.f 01-12-2008.

The rate of allowance has been increased from time to time and presently the rate is Rs. 1900/- w.e.f. April, 2021 payable in May, 2021.

ELIGIBILITY CRITERIA

i) The age of applicant should be less than 18 years and shall submit age proof.

ii) The applicant should be a domicile of Haryana State and residing in Haryana State for the last three years at the time of submission of application.

iii) The applicant's close relative and parents are not in a financial position to support his/her and the income of his/her parents, close relative or his/her own income from all sources is less than the income as prescribed under the Minimum Wages Act. He/She will have to submit proof of income duly verified by the competent authority.

iv) The assistance will not be given to such children who are already receiving assistance under the Scholarship.

v) Mental Retardation with I.Q. not exceeding 50 or percentage of disability is 70% and above. Medical certificate duly issued by the Civil Surgeon will have to be produced.

BUDGET PROVISION:

There is a budget provision of Rs. 3858.00 lacs for the current financial year 2022-23. At present, 9383 beneficiaries are getting the benefit under this scheme.

9. FINANCIAL ASSISTANCE TO KASHMIRI MIGRANT FAMILIES SCHEME

The Kashmiri families which have migrated from Jammu & Kashmir to Haryana and are living in various parts of State are being given Financial Assistance. The scheme is implemented w.e.f. 1.4.2006. The rate of financial assistance is Rs. 1000/- per month per member of the family subject to maximum assistance of Rs. 5,000/- per month per family.

ELIGIBILITY CRITERIA

The maximum annual income from all sources of the displaced family from Jammu & Kashmir should not exceed 2,00,000/- per annum. The total period of financial assistance for re-settlement will be five years.

BUDGET PROVISION:

There is a budget provision of Rs. 0.30 lacs for the current financial year 2022-23. At present, 4 beneficiaries are getting the benefit under this scheme.

10. FINANCIAL ASSISTANCE TO ACID ATTACK VICTIMS

To restore, to an extent the right to live dignity for a women & girl acid attacks victims a social security scheme has been launched by the State Government in the year 2018. Further in Year 2019, Male and transgender Acid attack victims were also covered in the scheme. The object of the scheme is to provide monthly "Financial assistance to over the lifespan of the acid attack victims.

ELIGIBILITY CRITERIA

The main eligibility condition for the said scheme is that the victim shall be the resident of Haryana and shall have been residing in Haryana for at least 3 years prior to the date of the Acid Attack. Government employees are not eligible for the scheme. The victim himself /herself , parents or legal guardians/heirs can apply for the scheme.

BUDGET PROVISION:

There is a budget provision of Rs. 15.00 lacs for the current financial year 2022-23. At present, 10 beneficiaries are getting the benefit under this scheme.

11. SIMPLIFICATION OF PROCESS FOR GETTING NEW PENSION

The process of getting new samman allowance is very simple. Applicant will visit CSC centre for Parivar Pehachan Patra (PPP) if not issued to him. According to which applicant can apply for pension by uploading the related document through CSC/ Antyodya centre. For the purpose of income, self-declaration is taken from the applicant. He/she visits the office of concerned DSWO on the date, as predetermined, for verification of related documents only once. In case of documents found correct during verification, allowance is sanctioned. Further, the pension schemes have also been included in the list of essential services by the department as per mandate of the Right to Service Act, 2014 whereby time limit for sanction for new cases of pension/financial assistance is maximum 60 days.

Moreover, the process for grant of new Old Age Samman Allowance is being further simplified on proactive basis. Instead of the applicant visiting CSC/Antyodyay Saral Kendra, the Government will approach the selected beneficiary, based on the data extracted from Parivar Pehachan Patra (PPP) database and obtain his/her consent along with a declaration for starting the new Old Age Samman Allowance. The detailed notification , mentioning fixed time limit of the whole process, has also been notified by the department vide notification dated 07 July, 2022.

With the commencement of Pro-active there is no need to apply, for the benefit of Old Age Samman Allowance either through CSC/Antyodya centre or through the office of concerned DSWO. The Government is now approaching the doorstep of the eligible beneficiaries and is getting them pension by taking their consent with a declaration only.

Disbursement of pension Through PFMS

Pension of all the beneficiaries is being disbursed through PFMS from the month of August 2020 after validation of bank accounts of the beneficiaries.

Stoppage of Allowance

Parivar Pehachan Patra (PPP) is mandatory for getting the benefit of new pension.

At present, Old Age Samman pension/allowance has been paid, upto the month of Jan, 2023 paid in February 2023, to 1773407 beneficiaries and total number of 39,175 Old Age Pensions has been sanctioned from 1st July, 22 onwards till date (i.e. 13-03-2023) on pro-active basis after seeking consent of the beneficiary based on Parivar Pehchan Patra. It is further added that Old Age Pension of total number of 22,198 beneficiaries' stands discontinued on the basis of Parivar Pehchan Patra data.

Further, a grievances redressal portal (https://grievance.edisha.gov.in/grievance) has also been launched for the beneficiaries to update the information of Parivar Pehchan

Patra, where the beneficiary can find out the grounds on which the pension/allowance has been stopped and submit the grievance in case the grounds need corrections. After the modification of error the stopped benefit can be restarted, if found eligible as per provisions of the scheme.

12. TYPES OF SOCIAL SECURITY PENSIONS

In all, the State disburses nine types of Social Security Pensions. These are listed as follows:

Sr. No.	Name of the Scheme	No. of Beneficiaries as on January, 2023	Budget provision for the year 2022-23 (Rs. In Lakh)	Total Expenditure for the pension from 01.04.2022 to 31-01-2023 (Rs. In Lakh)
1.	**Old Age Samman Allowance**	1773407	538553	439625.7
2.	**Widow Pension**	811141	250000	198831.5
3.	**Disability Pension**	184907	60500	45106.74
4.	**Financial Assistance to Destitute Children**	158097	50000	39591.73
5.	**Ladli Social Security Allowance**	34532	13510	8338.75
6.	**Financial Assistance to Non School Going Disabled Children**	9383	3858.00	1752.26
7.	**Allowance to Eunuch**	39	16.35	09.20
8.	**Financial Assistance to Women and Girl, Male and Transgender Acid Attack Victim**	10	15.00	9.50
9.	**Financial Assistance to Kashmiri Migrants**	4	0.30	0.19
	Total	**2971520**	**916452.65**	**733265.57**

नोट फोर पैड

हरियाणा सरकार द्वारा मासिक भत्ता/पैंशन/वित्तीय सहायता की अदायगी करते हुए राज्य के अधिवासी के कल्याण के लिये विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनायें चलाई जा रही है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

(1) वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो अपने साधनों से जीवनयापन करने में असमर्थ हों जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सरंक्षण प्रदान करने के लिए प्रारम्भिक स्तर पर तिथि 1–4–1964 से वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई थी। पेंशन की दर, जो योजना प्रारम्भ होने के समय 15/– रूपये मासिक थी, में सरकार द्वारा समय–समय पर बढ़ौतरी की गई। हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना 1–11–1966 से अपनाई गई। वर्ष 1987 में वृद्धावस्था पैंशन का उदारीकरण किया गया और मासिक पेंशन को दिनांक 17–6–87 से 100/–रू0 मासिक तक बढ़ाया गया। पेंशन की दरे जो योजना के प्रारम्भ में 15/– रूपये मासिक थी, में सरकार द्वारा समय–समय पर बढ़ौतरी की गई व दिनांक 01.04.2021 से 2500/– रूपये प्रति मास प्रति लाभपात्र की गई है।

राज्य सरकार द्वारा इस योजना को पुनः उदारीकरण करते हुये ''वृद्धावस्था पेंशन योजना–1991'', प्रारम्भ की। यह योजना 1 जुलाई, 1991 से चालू की गई। इसमें पात्रता की आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई।

पात्रता मानदण्ड

वर्तमान में ऐसा व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्वीकृति के लिये पात्र है, यदि

(i) उसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है; तथा

(ii) वह हरियाणा राज्य का मूल निवासी है और हरियाणा में रह रहा है; तथा

(iii) उसकी स्वयं व पति/पत्नी सहित सभी साधनों से आय 50,000/–रू0 वार्षिक से अधिक नहीं है।

अपवाद

उपरोक्त के अलावा, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार अथवा स्थानीय/स्वायत निकाय या किसी सरकार अथवा स्थानीय/स्वायत निकाय से वितीय सहायता प्राप्त संगठन से पैंशन प्राप्त कर रहा/रही है, तो वह इस योजना के अन्तर्गत भत्ता प्राप्ति का पात्र नही होगा/होगी।

i) सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतू सरकारी अधिसूचना में ''पैंशन'' से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल हैः

* प्रोविडेंट फण्ड, अथवा

* किसी भी स्त्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक, वितीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल है।

बजट प्रावधान

चालू वित्त वर्ष 2022–23 में 538553 लाख रू0 बजट का प्रावधान है। वर्तमान में 1773407 लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे है।

(2) <u>हरियाणा विधवाओं एवं निराश्रित महिला पैंशन योजना (विधवा पैंशन)</u>

वर्ष 1979–80 में हरियाणा में **"विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना"** प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को, जोकि स्वयं अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों तथा उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है । पेंशन की दर, जोकि योजना के प्रारम्भ में 50/–रूपये प्रतिमास थी, में समय–समय पर बढ़ौतरी की गई थी व दिनांक 01.04.2021 से 2500/–रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलांए और जो हरियाणा की अधिवासी है जिनके पास आजीविका का कोई साधन नही है और जो अपने पति द्वारा घर से लगातार अनुपस्थिति या पति द्वारा परित्याग या अपने पति की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण समर्थन या देखभाल से वंचित है, इस योजना के तहत पात्र है।

दिनांक 01.01.2015 से पैंशन की दरें बढ़ाकर 1200/–रू0 प्रति माह प्रति लाभार्थी, दिनांक 01.01.2016 से पैंशन 1400/–रू0, दिनांक 01.11.2016 से पैंशन 1600/–रू0, दिनांक 01.11.2017 से 1800/–रू0, दिनांक 01.11.2018 से 2000/–रू0, दिनांक 01.01.2020 से 2250/–रू0। वर्तमान में दिनांक 01.04.2021 से विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन की दरें 2250/–रू0 से बढाकर 2500/–रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है।

पात्रता मानदण्ड

1 इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलायें।

2 यदि वह हरियाणा राज्य की आवासित हैं और आवेदन फार्म जमा करवाने की तिथि से पिछले एक वर्ष से हरियाणा राज्य की निवासी है और उसकी अपनी सभी साधनों से वार्षिक आय 2,00,000/–रू0 से कम हों और वह निम्न तीन शर्तो में से कोई एक शर्त पूर्ण करती है, पैंशन प्राप्त करने के लिए योग्य है:–

क) आवेदक विधवा है या

ख) आवेदक पति, माता–पिता और लड़कों के बिना निराश्रित है ।

ग) आवेदक भौतिक/मानसिक अक्षमता से निराश्रित है:–

○ विवाहित महिला के केस में पति अथवा

○ अन्य महिलाओं के केस में माता–पिता ।

अपवाद

उपरोक्त के अलावा, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार अथवा स्थानीय/स्वायत निकाय या किसी सरकार अथवा स्थानीय/स्वायत निकाय से वितीय सहायता प्राप्त संगठन से पैंशन प्राप्त कर रहा/रही है, तो वह इस योजना के अन्तर्गत भत्ता प्राप्ति का पात्र नही होगा/होगी।

i) सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतू सरकारी अधिसूचना में ''पैंशन'' से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल हैः

* प्रोविडेंट फण्ड, अथवा
* किसी भी स्त्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक, वितीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल है।

बजट प्रावधान

चालू वित्त वर्ष 2022–23 में 250000 लाख रू0 बजट का प्रावधान है। वर्तमान में 811141 लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे है।

(3) <u>हरियाणा दिव्यांग जन पैंशन योजना (विकलांग पैंशन)</u>

दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1981–82 में "हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना" आरम्भ की गई थी । इस योजना का उद्देश्य ऐसे दिव्यांग, जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों और जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन की दरें, जो योजना के प्रारम्भ में 50/–रूपये मासिक थी, में समय–समय पर बढ़ौतरी की गई थी व दिनांक 01.04.2021 से 2500/–रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है।

<u>पात्रता मानदण्ड</u>

- आयु 18 वर्ष या इससे अधिक
- हरियाणा का अधिवासी एवं आवेदन फार्म प्रस्तुत करने के 3 वर्ष पूर्व से हरियाणा राज्य में रह रहा हो
- उनके नजदीक रिस्तेदार जैसे माता–पिता, बेटे, बेटे के बेटे उनकी सहायता नहीं कर रहे है, और सभी साधनों से उनकी अपनी वार्षिक आय श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं है, और वर्ष दर वर्ष आधार पर विभाग द्वारा परिचालित की जाती है।

बजट प्रावधान

चालू वित्त वर्ष 2022–23 में 60500 लाख रू0 बजट का प्रावधान है। वर्तमान में 184907 लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे है।

(4) <u>लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना</u>

हरियाणा राज्य में दिनांक 01.01.2006 से लाडली सुरक्षा भत्ता योजना उन परिवारों के लिए प्रारम्भ की गई थी जिनके पास लड़की/लड़कियां है। इस योजना के अन्तर्गत वह माता–पिता लाभ प्राप्त करने हेतू योग्य है जो हरियाणा के निवासी हो और जिनका कोई अपना अथवा दत्तक पुत्र ना हो अपितु केवल लडकी/लडकीयां हो। यह लाभ माता–पिता के 45 वें जन्मदिन से शुरू होता है, अर्थात जिस दिन माता–पिता में से कोई एक 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है उसे कम से कम 15 वर्ष अर्थात 60 वर्ष की आयु तक लाभ दिया जाता है। तदोपरान्त माता–पिता वृद्वावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त कर सकते है यदि वे उसके लिए पात्र है। वर्तमान में योजना के तहत वित्तीय सहायता माता–पिता में से जो बडे हो यानि जिसकी आयु पहले 45 वर्ष की हो जाती है उसको दी जाती है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत भत्ता यदि माता जीवित है तो माता–पिता में से 45 वर्ष की आयु पूरी करने की तारीख से अधिकतम 15 वर्ष की अवधि तक दिया जाता है। यदि माता जीवित नही है तो लाभ पिता को दिया जाता है।

दिनांक 01.01.2014 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता की दरें बढ़ाकर 1000/–रू0 प्रति माह प्रति लाभार्थी, की गई थी, दिनांक 01.11.2018 से 2000/–रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है, दिनांक 01.01.2020 से 2250/–रू0 की गई थी । वर्तमान में लाडली सुरक्षा पैंशन योजना की दर 01.04.2021 से 2500/–रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है, जिसका भुगतान मई 2021 से किया गया है।

पात्रता मानदण्ड

- कोई भी परिवार जहां जैविक एकल माता–पिता हरियाणा का निवासी है या हरियाणा सरकार के लिए काम कर रहे है और कोई बेटा, जैविक या दत्तक नही है, लेकिन केवल बेटी/बेटियां इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र है।
- परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय 2,00,000/–रू0 से कम हो, लाभ प्राप्त करने हेतू योग्य है।
- इस योजना के अन्तर्गत माता/पिता की 45 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर योग्य परिवार योजना का लाभ 15 वर्ष तक की अवधि के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है । लाभ की राशि बच्चों की माता के खाता में जायेगी। यदि माता जीवित नहीं है तो यह लाभ पिता को दिया जायेगा।

बजट प्रावधान

चालू वित्त वर्ष 2022–23 में 13510 लाख रू0 बजट का प्रावधान है। वर्तमान में 34532 लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे है।

(5) निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत 21 वर्ष तक के आयु के बच्चो के माता–पिता/अभिभावक जो अपने माता–पिता की मृत्यु या लंबी कारावास, मानसिक मंदता की लंबी बीमारी के कारण उचित देखभाल से वंचित है, को दिनांक 01.04.2021 से 1600/– रू0 प्रति माह प्रति बच्चे की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इससे पहले इसकी दर 1350/– रू0 प्रति माह प्रति बच्चा थी। योजना में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

सहायता की दरें समय–2 पर बढाई जाती है जोकि दिनांक 01.11.2018 को 1100/–रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र थी, दिनांक 01.01.2020 से 1350/–रू0 थी। वर्तमान में निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना की दर दिनांक 01.04.2021 से 1600/–रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है, जिसका भुगतान मई 2021 से किया गया है।

पात्रता मानदण्ड

- बालक की आयु 21 वर्ष से कम हो।
- यदि वह हरियाणा का निवासी है और हरियाणा राज्य में रह रहा है, और उसे माता–पिता की सहायता अथवा देखभाल से वंचित व उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता/पिता के लम्बी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो अथवा मानसिक/शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो, और
- बच्चे के माता–पिता/सरंक्षक की सभी साधनो से वार्षिक आय 2.00 लाख रू0 से अधिक न हो।

बजट प्रावधान

चालू वित्त वर्ष 2022–23 में 50000 लाख रू0 बजट का प्रावधान है। वर्तमान में 158097 लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे है।

(6) बौना भत्ता योजना

हरियाणा राज्य के विभिन्न शहरों में रह रहे बौने व्यक्तियों को निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार दिनांक 01.04.2014 से 1000/–रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से भत्ता दिया जा रहा था, पुरूष आवेदक के लिए कद 3 फुट 8 इंच या इससे कम तथा महिला आवेदक के लिए कद 3 फुट 3 इंच या इससे कम (70 प्रतिशत

दिव्यांगता के बराबर) मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए योग्य है। यह योजना 1–6–2006 से लागू की गई थी।

सहायता की दरें समय–2 पर बढाई जाती है जोकि दिनांक 01.11.2018 को 2000/–रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र थी, दिनांक 01.01.2020 से 2250/–रू0 थी। वर्तमान में बौना भत्ता योजना की दर दिनांक 01.04.2021 से 2500/–रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है, जिसका भुगतान मई 2021 से किया गया है।

पात्रता मानदण्ड

- आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी हो और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व हरियाणा राज्य में पिछले एक वर्ष से रह रहा हो ।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
- आवेदक को अपने बौना होने बारे सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

वर्तमान में 54 लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे है।

(7) <u>किन्नर भत्ता योजना।</u>

हरियाणा राज्य में रह रहे किन्नरों को, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो और सिविल सर्जन द्वारा आवेदक के किन्नर होने बारे जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर उस उदेश्य के लिए निर्धारित मापदंड पूर्ण करने पर दिनांक 01.04.2014 से 1000/–रू0 प्रति माह प्रति लाभार्थी दिया जा रहा है। यह योजना 1–6–2006 से लागू की गई है।

सहायता की दरें समय–2 पर बढाई जाती है जोकि दिनांक 01.11.2018 को 2000/–रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र थी, दिनांक 01.01.2020 से 2250/–रू0 थी। वर्तमान में किन्नर भत्ता योजना की दर दिनांक 01.04.2021 से 2500/–रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है, जिसका भुगतान मई 2021 से किया गया है।

पात्रता मानदण्ड

- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी/अधिवासी हो और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व हरियाणा राज्य में पिछले पांच वर्ष से रह रहा हो ।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
- आवेदक द्वारा अपने किन्नर होने बारे सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा।
- आवेदक किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नही होना चाहिए।

बजट प्रावधान

चालू वित्त वर्ष 2022 में 16.35 लाख रू0 बजट का प्रावधान है। वर्तमान में 39 लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे है।

(8) <u>स्कूल न जा सकने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता।</u>

वर्तमान में हरियाणा सरकार 0 से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चे जो सक्षम नही है, जो गहन और गंभीर रूप से मानसिक मंदबुद्वि की श्रेणी में है और उनकी मानसिक मंदबुद्वि 50 प्रतिशत से अधिक नही है या दिव्यांगता का 70 प्रतिशत और उससे अधिक है। दिव्यांगता के कारण औपचारिक शिक्षांए प्रशिक्षण आदि में भाग नही ले सकते और वे पूरी तरह से अपने माता–पिता या रिश्तेदारों पर निर्भर है और उन्हें अपने परिवारों की निरंतर देखरेख व देखभाल की आवश्यकता होती है। आवेदक जो हरियाणा राज्य का निवासी हो और हरियाणा में रह रहा हो और वह 18 वर्ष से कम आयु वर्ग में शारीरिक रूप से दिव्यांग है और उन्हे पात्रता मानदंड के अनुसार भत्ता दिया जा रहा है। यह योजना 01.12.2008 से लागू की गई थी। सहायता की दरें समय–2 पर बढाई जाती है और वर्तमान में स्कूल न जा सकने वाले दिव्यांग बच्चे भत्ता योजना की दर दिनांक 01.04.2021 से 1900/–रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है, जिसका भुगतान मई 2021 से किया गया है।

पात्रता मानदण्ड

1. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और वह उस बारे में आयु का दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
2. हरियाणा का निवासी हो एंवम आवेदन प्रस्तुत करने के समय तीन वर्ष पूर्व से हरियाणा राज्य में रह रहा हो।
3. उसके निकट सम्बन्धी जैसे माता–पिता/सुपुत्र उसकी सहायता नही कर रहे हों और सभी स्रोतों से उसकी अपनी वार्षिक आय श्रम विभाग द्वारा यथा अधिसूचित तथा विभाग द्वारा प्रति वर्ष आधार पर परिचालित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं हो। उसे सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. छात्रवृति बेरोजगारी भत्ता और दिव्यांगता पैंशन योजनाओं के तहत पहले से सहायता प्राप्त कर रहे ऐसे बच्चों को सहायता नही दी जायगी।
5 आई.क्यू. के साथ मानसिक मंदबुद्वि 50 प्रतिशत से अधिक नहीं या दिव्यांगता का प्रतिशत 70% और उससे अधिक है। चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिक्तिसा अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।

बजट प्रावधान

चालू वित्त वर्ष 2022–23 में 3858.00 लाख रू0 बजट का प्रावधान है। वर्तमान में 9383 लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे है।

(9) कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता योजना

जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित होकर राज्य के विभिन्न शहरों में रह रहे कश्मीरी परिवारों को, वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना 1–4–2006 से प्रारम्भ की गई है। वित्तीय सहायता की दर 1000/–रू0 प्रतिमास प्रति सदस्य की दर से अधिकतम 5000/–रू0 प्रति परिवार होगी।

पात्रता मानदण्ड

- जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित परिवार जिनकी सभी साधनों से वार्षिक आय 2,00,000/–रू0 से अधिक न हो, इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य है। परिवार को पुर्नस्थापन के लिए कुल 5 वर्ष तक की अवधि के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी।

बजट प्रावधान

चालू वित्त वर्ष 2022–23 में 0.30 लाख रू0 बजट का प्रावधान है। वर्तमान में 4 लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे है।

(10) तेजाब हमले से पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में महिलाओं एवं लड़की जो तेजाब हमले की शिकार है को सम्मान के साथ जीने के अधिकार को बहाल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2019 में पुरूष और ट्रांसजेंडर तेजाब हमले से पीड़ितो को भी शामिल किया गया है। इस योजना का उदेश्य तेजाब हमले से पीड़ितों के जीवन काल में मासिक "वित्तीय सहायता" प्रदान करना है।

पात्रता मापदण्डः–

उक्त योजना के लिए मुख्य पात्रता शर्त यह है कि पीड़ित हरियाणा का निवासी होगा और तेजाब हमले की तारीख से कम से कम 3 साल पहले से हरियाणा में रह–रहा हो। सरकारी कर्मचारी योजना के लिए पात्र नहीं हैं। पीड़ित स्वयं/स्वयं, माता–पिता या कानूनी अभिभावक/उतराधिकारी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अर्न्तगत तेजाब पीड़ित महिलाओं एवं लडकियों तथा पुरूष एवं ट्रांसजेंडर को निम्न तालिकानुसार वित्तीय सहायता प्रति माह दी जा रहीं हैंः–

दिव्यांगता का प्रतिशत	**वित्तीय सहायता**
40–50	2.5 गुना दिव्यांग पेंशन
51–60	3.5 गुना दिव्यांग पेंशन
$\geq$ 60	4.5 गुना दिव्यांग पेंशन

बजट प्रावधान

चालू वित्त वर्ष 2022–23 में 15.00 लाख रू0 बजट का प्रावधान है। वर्तमान में 10 लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे है।

(11) नई पैंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण।

नई पैंशन बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल है। यदि आवेदक को परिवार पहचान पत्र (पी0पी0पी0) जारी नही किया गया है तो वह सी0एस0सी0 केन्द्र पर जायेगा। जिसके अनुसार आवेदक सी0एस0सी0/अंत्योदय केन्द्र के माध्यम से सम्बन्धित अभिलेखों अपलोड करके पैंशन के लिए आवेदन कर सकता है। तदोउपरान्त उन्हे सम्बन्धित अभिलेखों के सत्यापन हेतू केवल एक बार पूर्व निर्धारित तिथि पर सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा। यदि सत्यापन के दौरान अभिलेख सही पाये जाते है तो पैंशन स्वीकृत कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त पैंशन योजनाओं को विभाग द्वारा सेवा के अधिकार अधिनियम, 2014 के प्रावधान अनुसार आवश्यक सेवाओं की सूची में शामील किया गया है। जिसमें पैंशन/वित्तीय सहायता के नये केसों की स्वीकृति हेतू अधिकतम 60 दिन की समय सीमा है।

इसके अलावा, नई वृद्धावस्था समान भत्ता प्रदान करने की प्रक्रिया को सक्रिय आधार पर और सरल बनाया जा रहा है। आवेदक के सी0एस0सी0/अन्तयोदय सरल केन्द्र पर जाने की बजाय सरकार परिवार पहचान पत्र (पी0पी0पी0) डाटाबेस से निकाले गये डाटा के आधार पर चयनित लाभार्थीयो से संपर्क करेगी और नया वृद्धावस्था सम्मान भत्ता शुरू करने के लिए घोषणा के साथ उसकी सहमति प्राप्त करेगी। अब तक, 90161 व्यक्तियों जो, अन्यथा पी0पी0पी0 डाटा के आधार पर पात्र है, लेकिन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त नहीं कर रहें है से भत्ता प्रदान करने के लिए उनकी सहमति लेने के लिए संम्पर्क किया जा रहा है उनमें से 27881 नए लाभार्थीयों को नामाकिंत किया है वृद्धावस्था सम्मान भत्त के तहत यह बताना भी उचित होगा कि 4038 व्यक्तियों ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का लाभ लेने के लिए स्वयं ही मना कर दिया है तथा 44381 लाभार्थी पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे है। विभाग द्वारा दिनांक 07 जुलाई 2022 की अधिसुचना के माध्यम से पूरी प्रक्रिया की निश्चित समय सीमा का उल्लेख करते हुए विस्तृत अधिसूचना भी जारी की गई है।

प्रो–एक्टिव शुरू होने से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लाभ के लिए या तो सी0एस0सी/अंतयोदय केन्द्र या सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार अब योग्य लाभपात्रों के धर तक पहुंच रही है और उनकी सहमति लेकर घोषणापत्र प्राप्त कर उन्हें पेंशन दे रही है।

भत्ते को रोकना

नई पेंशन का लाभ पाने के लिए परिवार पहचान पत्र (पी0पी0पी0) अनिवार्य है।

वर्तमान में, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन भत्तें का भुगतान का माह जनवरी, 2023 का फरवरी, 2023 में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के 1773407 लाभार्थियों को भुगतान किया गया तथा परिवार पहचान पत्र अनुसार लाभार्थियों की सहमति उपरान्त

सक्रिय आधार पर 1 जुलाई, 2022 से अब तक (अर्थात् 13.03.2023) कुल 39,175 वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर कुल 22,198 लाभाथियों की वृद्धावस्था पेंशन अभी भी स्थगित है।

इसके अलावा, लाभार्थियों के लिए परिवार पहचान पत्र की जानकारी को अद्यतन करने के लिए एक शिकायत निवारण पोर्टल (https://grievance.edisha.gov.in/grievance) भी शुरू किया गया है, जहां लाभार्थी उन आधारों का पता लगा सकता है जिन पर पेंशन भत्ता रोक दिया गया है और आधार में सुधार की आवश्यकता होने पर शिकायत प्रस्तुत करेगा। त्रुटि में संशोधन के बाद योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र पाए जाने पर रोका हुआ लाभ फिर से शुरू किया जा सकता है।

पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से पैंशन का वितरण

लाभार्थियों के बैंक खातों के सत्यापन के बाद सभी लाभार्थियों की पैंशन अगस्त 2020 माह से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वितरीत की जा रही है।

(12) सामाजिक सुरक्षा पैंशन के प्रकार।

कुल मिलाकर राज्य 09 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पैंशन वितरित करता है। जो इस प्रकार सूचीबद्व है:–

क्र0 न0	योजना का नाम	जनवरी 2023 में लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2022–23 के लिए बजट प्रावधान (राशि लाखों में)	दिनांक 01.04.2022 से 31.01.2023 तक कि पैंशन का कुल खर्च (राशि लाखों में)
1	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना	1773407	538553	439625.7
2	दिव्यांग जन पैंशन	184907	60500	45106.74
3	विधवा एवं निराश्रित महिला पैंशन	811141	250000	198831.5
4	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना	34532	13510	8338.75
5	निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना	158097	50000	39591.73
6	तेजब पीड़ितो के लिए वित्तीय सहायता	10	15.00	9.50
7	किन्नर भत्ता योजना	39	16.35	09.20
8	स्कूल न जा सकने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता	9383	3858.00	1752.26
9	कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता योजना	4	0.30	0.19
	योग	2971520	916452.65	733265.57

****